(35)
(10)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 61 / 2487 / 12

जनपद देहरादून में क्यारी–कचटा मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जुलाई 2012

36

(11)

जनपद देहरादून में क्यारी–कचटा मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सहिया के अन्तर्गत 2.5 कि0मी0 लम्बाई में क्यारी–कचटा मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.07.2012 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री आर0एस0 खत्री एवं अपर सहायक अभियन्ता श्री अर्जुन केसरवानी के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत क्यारी–कचटा मोटर मार्ग से मेहसासा तक 2.5 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखणों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो में स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुये खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन लकस्यार–लुधेरा–क्यारी–कचटा विस्तार मोटर मार्ग (स्वीकृत समरेखन) के क्रास सैक्शन 14/35 से हिल साईड में आरम्भ होता है। स्वीकृत 2.5 कि0मी0 लम्बाई में समरेखन ग्राम मेहसासा पहुंच कर समाप्त होता है। समरेखन में तीन हेयर पिन बैण्ड्स है, जो क्रमशः क्रास सैक्शन 1/13, 1/19 एवं 2/7 में दिये गये है। अवगत कराया गया कि समरेखन की अधिकांश लम्बाई नाप भूमि से व शेष लम्बाई सिविल वनभूमि से होकर गुजरती है। नाप भूमि में पहाड़ी ढलान सामान्यतः 20° से 35° तक है, किन्तु सिविल भूमि में कही–कही ढलान अधिक भी है। चैनेज 1.775 से 1.800 के मध्य समरेखन एक गदेरे को पार करता है, जिस पर लघु सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट व फिलाईट चट्टान है, जिस पर ओवर बर्डन है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथा सम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये। प्रथम दो बैण्ड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये।

(घ) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता।
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
सहिया

(ड़) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) जहॉ मार्ग कटान की ऊचांई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये,जिससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(1) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5 क्यारी–कचटा मार्ग से मेहसासा मोटर मार्ग हेतु 2.5 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
सहिया

J.K. Kumar 23.7.12
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि. स्तर–1
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड
देहरादून

Photo copy attached

(इं0 वी0डी0 भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया जिला–देहरादून